



**Purient AQUA**  
Pure Water for the whole Family

**RO Made for Complete Satisfaction**

Dealer Enquiry Solicited  
Mob : 7979985594, 9386666313

**Purient AQUA**

## मुफ्त की योजनाओं के एलान से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- मुफ्त योजनाओं के कारण लोग काम नहीं करना चाहते

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उन्हें राशन

और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे। जस्टिस बीआर गंवाई और जस्टिस आंगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा

कि 'दुर्भाग्य से, मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है और उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं।' पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि 'आपकी बेघर लोगों की चिंता किए जाने की हम तारीफ करते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं

होगा कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, जिससे देश के विकास में इन्हें भी योगदान देने का मौका मिले। केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी इलाकों में गरीबी को मिटाने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दे

रही है। जिसमें शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आश्रय देने का भी प्रावधान होगा। इस पर पीठ ने उन्हें केंद्र सरकार से पूछकर यह स्पष्ट करने को कहा कि कितने दिन में इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी।



## परीक्षा पे चर्चा 2025 - पीएम मोदी से डीपीएस बोकारो के विद्यार्थियों ने सीखा कामयाबी का मंत्र

बोकारो।

डीपीएस बोकारो के विद्यार्थी सोमवार को देश के दूरदृष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित की गई परीक्षा पे चर्चा 2025 के लाइव सेशन का साक्षी बने। विद्यालय के कालिदास कला भवन के साथ-साथ विभिन्न कक्षाओं में भी चलाए जा रहे लाइव शो को देखते हुए बच्चों ने परीक्षा के साथ-साथ जीवन में भी कामयाबी का मंत्र सीखा। छात्र-छात्राओं ने तनावमुक्त होकर एवं आनंदयुक्त वातावरण में परीक्षा देने के कई गुर सीखे। प्रधानमंत्री के साथ इस इंटरैक्टिव सेशन में बच्चों ने बिना किसी के दबाव की परवाह किए पूरी तरह तनावमुक्त होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने, लीडरशिप क्वॉलिटी, टीम-वर्क,



अपनी भावनाएं जरूर साझा करने, समग्र विकास, प्रकृति से जुड़ाव, परिवारजनों एवं शिक्षकों के साथ तालमेल और टाइम मैनेजमेंट सहित कई महत्वपूर्ण टिप्स सीखे। विद्यार्थियों ने सदैव सकारात्मक बने रहने, लिखने की आदत डालने तथा कठिनाइयों को चुनौती के रूप में लेने की बातों को काफी प्रेरणाप्रद बताया। सबसे कठिन विषय को चुनौती के रूप में लेकर सबसे पहले

उसकी पढ़ाई करने की बात ने बच्चों में एक नए उत्साह का संचार कर दिया। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए एस गंगवार ने परीक्षा पे चर्चा को प्रधानमंत्री श्री मोदी की ऐतिहासिक पहल बताते हुए छात्र-छात्राओं के लिए परीक्षा के दिनों में एक अतुलनीय संजीवनी बताया। उन्होंने कहा कि बच्चे जब तनावमुक्त होकर आनंदपूर्ण वातावरण में परीक्षा देंगे, तो निश्चय ही वे अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे।

## मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना: आधार लिंक की समय सीमा बढ़ी



रांची। मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार ने आधार लिंक की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया है। इससे योजना की लाभुक महिलाओं को राहत मिलेगी और वे अपने खातों में राशि प्राप्त कर सकेंगी।

नई दिल्ली।

परेशान करने वाले फोन कॉल व अनचाहे संदेशों पर नियमों के बार-बार उल्लंघन और ऐसे

## अब तक क्या हुआ

- दिसंबर 2024 में हुई विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने इस योजना के लिए अनुपूर्व बजट पेश किया था।
- 27 दिसंबर को सभी जिलों को 5225 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी गयी।
- 14 अक्टूबर 2024 को जारी सकलप के अनुसार, दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक 5900 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का अनुमान लगाया गया था।
- 6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम में आयोजित कार्यक्रम में 56.61 लाख महिला लाभुकों के खातों में
- दिसंबर माह की 1415.44 करोड़ रुपये की राशि भेजी थी।
- आधार लिंक की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है।
- योजना के लिए 5225 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है।
- फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी जायेगी।
- आधार लिंक की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है।
- योजना के लिए 5225 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है।
- फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी जायेगी।

## अनचाही कॉल-संदेशों पर लग सकता है 10 लाख तक जुर्माना, ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों पर कसा शिकंजा

मामलों में स्पैम की गलत संख्या बताने वाली दूरसंचार कंपनियों पर दो से दस लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने इस मामले में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों पर शिकंजा कसा है। सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स को नियामक ने आदेश दिया कि वे रियल टाइम में संभावित स्पैमस को पहचान करें। ट्राई ने असामान्य रूप से उच्च कॉल वॉल्यूम, छोटी कॉल अवधि और इनकॉमिंग व आउटगॉइंग कॉल अनुपात जैसे मापदंडों पर कॉल और एसएमएस पैटर्न का विश्लेषण करने का आदेश दिया है। दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरियता विनियमन में संशोधन के साथ दंड का प्रावधान किया गया है।

## आयकर विधेयक आज लोकसभा में होगा पेश, सरकार ने सूचीबद्ध किया

निर्धारण' और 'पिछले वर्ष' जैसी शब्दावली के स्थान पर 'कर वर्ष' शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यह बदलाव भाषा को सरल बनाने के प्रयास का हिस्सा होगा। इसके साथ ही, इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण भी हटा दिए जाएंगे। नए विधेयक में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। यह सिर्फ 622 पृष्ठों पर अंकित है। इसमें कोई नया कर लगाने की बात नहीं की गई है। यह विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की भाषा को सरल बनाता है। छह दशक पुराने मौजूदा कानून में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। जब यह अधिनियम पेश किया गया था, तब इसमें 880 पृष्ठ थे। नया विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने के इरादे से तैयार किया गया है। दरअसल पिछले 60 वर्षों में किए गए संशोधनों के कारण मौजूदा आयकर अधिनियम बहुत बड़ा हो गया है। नया आयकर कानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। नए विधेयक में अनुषंगी लाभ (फ्रिज बनेफिट) कर से संबंधित अनावश्यक धाराओं को हटा दिया गया है। विधेयक के 'स्पष्टीकरण या प्रावधानों' से मुक्त होने की वजह से इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है।

आयकर विधेयक से जुड़ी खास बातें

- आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेने वाला आयकर विधेयक, 2025 बृहस्पतिवार को संसद में पेश किया जाएगा। नए विधेयक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
  - आयकर विधेयक, 2025 में सरल भाषा का उपयोग किया गया है, अनावश्यक प्रावधानों को हटाया गया है, छोटे वाक्यों का उपयोग किया गया है।
  - विधेयक में कोई नया कर नहीं है। इसमें सिर्फ आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदत्त कर-देयता प्रावधानों को एक साथ रखा गया है।
  - इसमें मात्र 622 पृष्ठों में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। जबकि 1961 के अधिनियम में 298 धाराएं, 23 अध्याय और 14 अनुसूचियां थीं।
  - नया कानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा; अधिनियम अधिसूचित होने के बाद नियम लागू किए जाएंगे।
  - इसमें व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और अन्य के लिए पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों शामिल हैं।
  - नए विधेयक में 'कर वर्ष' का उपयोग किया है। इसमें 'पूर्व वर्ष' और 'आकलन वर्ष' जैसे जटिल शब्दों को हटाया गया है।
  - 'स्पष्टीकरण या शर्त' का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके बजाय तालिकाओं और सूत्रों का उपयोग किया गया है।
  - विधेयक में करदाता चार्टर शामिल किया गया है, जो करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को बताएगा।
  - विधेयक में बाजार से जुड़े डिबेंचर के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
  - नियमों को सरल बनाने के मकसद से कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय को अनुसूचियों में स्थानांतरित किया गया है।
  - वैतन से कटौतियां जैसे मानक कटौती, ग्रेच्युटी, अवकाश न लेने के बाद नकद भुगतान आदि को अलग-अलग अनुभागों/नियमों में रखे जाने के बजाय एक ही स्थान पर सारणीबद्ध किया गया है।













